जालौन पुलिस

दिनांक –25.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियो को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियोग में अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 5,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्त लल्लन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बरियापुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन द्वारा 06 वर्षीय बालिका के साथ गलत कृत्य किए जाने पर वादिया की तहरीर के आधार पर दिनांक 13.07.2024 को थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 172/24 धारा 65(2)/127(2)/351(2) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना 05 दिवस में सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 25.10.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा **उपरोक्त अभियुक्त लल्लन सिंह को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 5,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

माननीय न्यायालय द्वारा आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 03 माह) में दण्डित किया गया ।